

अध्याय V

सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत लागूकरण

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के अन्तर्गत सरकार को या तो बिल्कुल या अधिसूचना में निर्दिष्ट जैसी भी स्थिति हो, पर पूरे सीमाशुल्क या उसके किसी भाग पर माल के किसी विनिर्दिष्ट वर्णन से छूट देने का अधिकार है। शुल्क न लगाने/कम लगाने के कुल ₹ 30.56 करोड़ के छूट के गलत अनुदान के कारण पाए गए मामलों (सितम्बर 2011 से अप्रैल 2014) के कुछ सोदाहरण मामलों की नीचे पैराग्राफों में चर्चा की गई हैं एवं दो छूट के मामले अनुबंध 5 में सूचीबद्ध हैं।

चीनी ओर रबर उपकर की गलत छूट

5.1 भारत सरकार ने मै. बोम्बे बर्माह ट्रेइंग कारपोरेशन लि. (2012(278) ई.एल.टी. 566 (जी.ओ.आई) के संशोधित आवेदन के उत्तर में निर्णय दिया कि जहां केन्द्रीय कानून किसी उत्पाद शुल्क को लगाने और एकत्रण का प्रावधान करता है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम या नियमावली के तहत जारी कोई अधिसूचना ऐसे उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान नहीं कर सकता जब तक कि ऐसी अधिसूचना प्रास्तावना में केन्द्रीय कानून के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से संदर्भित नहीं करती। इस संबंध में, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि केन्द्रीय कानून के तहत शुल्क लगाने के संदर्भ में प्रावधान एक सांविधिक आवश्यकता है और अनुमान द्वारा कोई व्याख्या सांविधिक रूप से निषेध है।

तदनुसार, वित अधिनियम (अर्थात् चाय उपकर अधिनियम चीनी उपकर अधिनियम इत्यादि) के अलावा केन्द्रीय कानूनों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के उपकर (अर्थात् चाय उपकर, रबर उपकर, चीनी उपकर इत्यादि) जो उत्पाद शुल्क के रूप में उद्ग्राहय हैं को निश्चित उद्देश्य हेतु लगाया जाता है (और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के लिए नहीं) और छूट के लिए उनका केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना में उल्लेख उचित है।

यह उल्लेख करना उचित है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (सीटीए) की धारा 3 के तहत घरेलू निर्माताओं पर केन्द्रीय कानूनों के तहत उद्ग्राहय ऐसा उपकर आयातो पर भी सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के रूप में

उदग्राहय है। इस प्रकार, केन्द्रीय कानूनों का निश्चित उल्लेख सीमाशुल्क अधिनियम और नियमावाली के तहत जारी अधिसूचनाओं पर भी लागू है ताकि केन्द्रीय कानूनों के तहत उदग्राहय उपकर की छूट प्रदान की जा सके।

आग्रिम अधिकरण योजना (डीईईसी) के तहत आयातित माल को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत उस पर उदग्राहय शुल्क से छूट प्राप्त है (11 सितम्बर 2009 के अधिसूचना सं. 96/2009 सी शु)। तथापि, किसी केन्द्रीय अधिनियम (अर्थात् चीनी उपकर अधिनियम/रबर अधिनियम 1947) के अन्तर्गत उदग्राहय उपकर से किसी छूट के बारे में निश्चित उल्लेख को उपरोक्त छूट अधिसूचना में उल्लिखित नहीं किया गया है। इसी प्रकार का शुल्क छूट दिनांक 11 सितम्बर 2009 की अधिसूचना सं. 97/2009 सी शु द्वारा डीईपीबी योजना के तहत प्रदान किया गया है।

“वाणिज्य मंत्रालय शर्तों में दिनांक 28 अगस्त 2011 की अधिसूचना एसओ 2020 (ई) की शर्तों में “कच्ची चीनी” पर “चीनी उपकर” ₹ 24 प्रति क्विंटल की दर से लगाया जाता है और प्राकृतिक रबड़ पर ‘रबड़ उपकर’ ₹ 2 प्रति किलो ग्राम की दर से लगाया जाता है (रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 12 के तहत लगाया जाता है) (सितम्बर 2011 से पूर्व दर ₹ 1.50/कि. ग्रा)।

मै. श्री रेनुका शुगर्स लि. और मै. सिम्भोली शुगर लि. ने सीमा शुल्क हाऊस (कांडला) के माध्यम से 5649687.30 क्विंटल कच्ची चीनी (मार्च 2013 से दिसम्बर 2013) आयात की जिसके लिए ₹ 1355.92 लाख की राशि के ‘चीनी उपकर’ की छूट अनियमित रूप से अग्रिम अधिकरण के तहत अनुमत की (डीईईसी अधिसूचना सं. 96/2009 सी शु दिनांक 11 सितम्बर 2009)

इसी प्रकार मै. अपोलो टायरर्स (₹ 142.61 लाख), मै. बालकृष्णा इंडस्ट्रीज (₹ 87.05 लाख) एवं मै. मल्होत्रा रबरडस लि. (₹ 2.06 लाख) को प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए आइसीडी के माध्यम से दशरथ (वडोदरा) एवं सीमाशुल्क हाऊस (एमपी एवं सेज), मुंद्रा द्वारा डीईपीबी लाइसेंस (अधिसूचना सं. 97/2009-सीशु) के एंडवास अधिकरण को डेविट कर अनियमित रूप से अनुमत की गई थी।

चूंकि उपरोक्त अधिसूचनाएं जो डीईईसी और डीईपीबी अधिकरणों को शासित करते हैं जो चीनी उपकर या रबड उपकर से छूट प्रदान नहीं करते हैं, इसके परिणामस्वरूप ₹1587.64 लाख के कुल चीनी और रबड उपकर से गलत छूट प्रदान की गई।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2012/जनवरी/मार्च 2014), विभाग ने आपत्ति स्वीकार नहीं की कि बोर्ड ने दिनांक 19 अप्रैल 1999 के परिपत्र सं. 17/99-सी शु द्वारा यह घटिकोण गया लिया कि धारा 3 के अन्तर्गत जारी छूट से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ साथ उपकर दोनों से माल को छूट हो सकती थी और चीनी उपकर अधिनियम के तहत कोई पृथक छूट जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी विवाद था कि डीईईसी/डीईपीबी योजना को शासित करने वाली अधिसूचनाएं आयातित माल को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत उदग्राहय पूरे अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है इस प्रकार इसे रबड/चीनी से छूट प्राप्त है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 3 के तहत उदग्राहय है।

विभाग का उत्तर उपरोक्त भारत सरकार के आदेश के वृष्टिगत जो स्व व्याख्यात्मक है, तर्कसंगत नहीं है। यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय उत्पाद नियमावली/अधिनियम की अधिसूचना लागू करते हुए उपकर अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्रहण उपकर से छूट नदी दी जा सकती थी। चीनी/रबड से इस साद्दश छूट से अग्रिम प्राधिकरण/डीईपीबी लाइसेंस के लिए उपकर भी उपलब्ध नहीं था। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2015)।

कार्बन ब्लैक पर सुरक्षा शुल्क से छूट

5.2 5 अक्टूबर 2012 से 4 अक्टूबर 2013 (दिनांक 5 अक्टूबर 2012 की अधिसूचना सं. 4/2012 (सुरक्षा) की अवधि के दौरान चीन से आयातित “28030010” टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) के तहत आने वाले कार्बन ब्लैक पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 सी के तहत 30 प्रतिशत की दर से एटी डम्पिंग शुल्क कम कर सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो तो उद्ग्राहय है।

मै. जे के टायर एवं इंडस्ट्रीज लि और पांच अन्य ने चैन्नई (समुद्री) और तूतीकोरीन कमिशनरियों के माध्यम वास्तव से चीन पीआर से ₹ 31.50 करोड़

के मूल्य के कार्बन ब्लैक के 96 परेषण आयात किए (दिसम्बर 2012 से मार्च 2013)। आयातित माल दिनांक 11 सितम्बर 2009 की अधिसूचना सं. 96/2009 की शर्तों में अग्रिम प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त था। अग्रिम प्राधिकरण अधिसूचना, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूचनी में निर्दिष्ट उस पर उदग्राहय पूरे सीमाशुल्क और उक्त अधिनियम की धारा 2,3,8 वी और 9 ए के तहत उस पर उदग्राहय क्रमशःपूरे अतिरिक्त शुल्क, सुरक्षा शुल्क और एंटी डम्पिंग शुल्क से छूट का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा ने बताया (दिसम्बर 2013) कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 सी के तहत चीन से आयातित कार्बन ब्लैक सुरक्षा शुल्क के अधीन है जिसे अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत जारी उपरोक्त अधिसूचना द्वारा छूट नहीं दी गई थी और इस प्रकार सुरक्षा शुल्क कार्बन ब्लैक के आयात पर उदग्राहय है। गलत छूट देने के परिणामस्वरूप ₹ 7.48 करोड़ का कम शुल्क लगाया गया।

तूतीकोरीन कमीशनरी प्राधिकारियों ने मै. पीआरएस टायर लि. को ₹ 2.48 लाख के लिए मांग कम कारण बताओ नोटिस जारी किया। बाकी के आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2015)। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2015)।

इलैक्ट्रिक रिक्षा को छूट

5.3 विद्युत परिचालित वाहन सीटीएच 87039010 के तहत वर्गीकृत हैं और उन पर 6 प्रतिशत की दर से प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) उदग्राहय है (दिनांक 17 मार्च 2012 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 12/2012 की क्रम सं. 274)

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अनुसार, बैटरी चालित वाहन का अर्थ है सड़क पर उपयोग हेतु अपनाया गया एक वाहन और जो विशिष्ट रूप से विद्युत मोटर द्वारा चलता है जिसकी कर्षण ऊर्जा की पूर्ति वाहन में संस्थापित कर्षण बैटरी द्वारा की जाती है बशर्ते नियम 126 में निर्दिष्ट निम्नलिखित शर्तें किसी जाँच एजेंसी द्वारा सत्यापित प्राधिकृत हो, बैटरी संचालित वाहन को मोटर वाहन नहीं माना जाएगा।

- (i) मोटर की तीस मिनट पावर 0.25 केवी से कम हो (250 वाट)

(ii) वाहन की अधिकतम गति 25 कि. मी/घंटा से कम हो।

प्रविष्टि के बिलों और आईसीईएस डाटा की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि विभिन्न आयातकों ने अगस्त 2013 से फरवरी 2014 के दौरान आईसीडी तुगलकाबाद के माध्यम से ₹ 61.26 करोड़ मूल्य के 'इलैक्ट्रिक रिक्शा' के 332 परेषण आयात किए थे। माल सीटीएच 87039010 के तहत वर्गीकृत और अधिसूचना सं. 12/2012 (क्रम सं. 274) के तहत सीवीडी की रियायती दर पर मूल्यांकित किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन वाहनों को संचालित करने वाली मोटरों की ऊर्जा 250 वाट से अधिक है और एक 250 वाट पावर का मोटर वाहन सड़क पर ग्रेडियन्ट सहित 5 से 7 व्यक्तियों को नहीं ढो सकता है। चूंकि इन वाहनों की मोटर की पावर 250 वाट की अधिकतम सीमा से अधिक है सीवीडी की रियायती दर के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अनुसार इन वाहनों को बैटरी संचालित मोटर वाहन नहीं समझा जाना चाहिए। इस प्रकार, उपरोक्त अधिसूचना लाभ के विस्तारण के परिणामस्वरूप ₹ 5.17 करोड़ तक सीवीडी की राशि कम लगाई गई। इन विद्युत रिक्शा द्वारा मोटर की पावर और व्यक्तियों को ढोने की क्षमता से संबंधित सूचना दिल्ली के परिवहन विभाग से भी मांगी गई थी (मई और जून 2014) किन्तु नवम्बर 2014 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

सीमाशुल्क विभाग ने कहा (जून 2014) कि दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीई की क्रम सं. 274, प्रदान करता है कि रियायत के लिए एकमात्र शर्त यह है कि ऊर्जा का एकल स्रोत एक बाहरी स्रोत से प्राप्त विद्युत ऊर्जा या ऐसे वाहनों में लगाई गई एक या एक से अधिक विद्युत बैटरियां होगी जिन्हें तत्काल मामले में पूरा किया गया था जैसा कि सभी बैटरी संचालित ई-रिक्शा में होता है, ऐसे ई-रिक्शा में विद्युत ऊर्जा के लिए ऊर्जा का एकल स्रोत संलग्न या लगाई गई रिचार्जेबल बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा है। मोटर की क्षमता किसी भी तरीके से माल के वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती न ही इसने उपरोक्त अधिसूचना के तहत प्रदान किए गए लाभ को प्रभावित किया है। विभाग ने आगे बताया कि आयातकों को सुरक्षात्मक मांग भी जारी की जा रही है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन विद्युत वाहनों को संचालित करने वाली मोटर की पावर 250 वाट से अधिक है और इस प्रकार, इन वाहनों को मोटर वाहन समझा जाना चाहिए और इस प्रकार, इन्हें केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 का पालन करना भी आवश्यक था। नियम 126 के अनुसार ऐसे वाहनों पर टाइप अनुमोदन प्रमाणीकरण सहित सभी नियम लागू हैं जैसा नहीं किया गया था।

चूंकि इन वाहनों के आयातकों ने ससंद द्वारा पारित केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 का अनुपालन नहीं किया है, इसलिए, विभाग द्वारा इन वाहनों की मंजूरी के समय अधिसूचना सं. 12/2012 सीई (क्रम सं. 274) के लाभ का विस्तारण गलत था। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2015)।

आयातित माल पर सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क का अनियमित प्रतिदाय

5.4 अनुवर्ती बिक्री के लिए भारत में आयातित माल पर 4 प्रतिशत की दर से एकत्रित सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) आयातक को वापिस लौटाया जा सकता है बशर्ते 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना सं. 102/2007-सी शु की शर्तों का अनुपालन किया गया हो। अधिसूचना की शर्तें अन्य बातों के साथ साथ निर्दिष्ट करती हैं कि केवल उस मामले में एसएडी का प्रतिदाय लाभ लिया जा सकता है जब आयातित माल को बाद में वैट के भुगतान पर बेचा जाता है। सीमाशुल्क आयुक्त (आईसीडी) नई दिल्ली बनाम मै. रिलायन्स कोम्प्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. {2012(279) ईएलटी 85 (ट्री-दिल्ली)} के मामले में सेसटेट, नई दिल्ली ने निर्णय दिया था कि उक्त अधिसूचना में शब्द 'बिक्री' की परिभाषा के अभाव में, राज्य सरकार या केन्द्रीय बिक्री अधिनियम, 1956 के वैट अधिनियम में इस उद्देश्य हेतु बिक्री की परिभाषा पर विचार करना होगा।

मै. टाटा स्कई लि. ने 'वियुर्झिंग कार्ड एवं एसेसरिज़' सहित 'सेट टाप बॉक्स (डिजीकोम्प)' का प्रतिसेट की संयोजित उत्तराई लागत के लिए प्रत्येक आयातित मद की कीमत के ब्रेकअप के बिना आयातित माल के या तो वाणिज्यिक बीजक या प्रविष्टि के बिलों पर आयात किया था (मार्च 2009 से अगस्त 2010)। भारत के क्रेताओं को आयातित 'सेट टाप बॉक्स' ₹ 4087.56

से ₹ 2417.40 (अर्थात् आयात बीजक कीमत का 27 प्रतिशत से 42 प्रतिशत के बीच की प्रति सेट आयात मूल्य की तुलना में ₹ 1121.33 से ₹ 1032.44 के बीच की आसामान्य रूप से कम कीमत पर बेचा गया था। किन्तु वियुइंग कार्ड और अन्य एसेसरीज़ नहीं बेची गई थी। जबकि सेट टाप बाक्स को बिक्री बीजकों और क्रेता के साथ उनके सदस्यता अनुबंध की नियम और शर्तों के विशिष्ट पृष्ठांकन के माध्यम से क्रेताओं को हस्तातरित कर दिया गया था, टाटा स्काई लि. ने अपना स्वामित्व बनाए रखा है। चूंकि इन मर्दों को राज्य वैट अधिनियम में बिक्री की परिभाषा के अनुसार न तो क्रेताओं को बेचा गया न ही किसी विचार हेतु क्रेताओं को हस्तांतरित किया गया, जिसे बिक्री माना जा सके ऐसे माल के मूल्य पर कोई वैट प्रभारित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि आयातक ने न तो आयातित वियुइंग कार्ड और एसेसरीज़ को बेचा न ही उन पर उचित वैट का भुगतान किया था जिससे वह दिनांक 14 सितम्बर 2007 की उक्त अधिसूचना के तहत एसएडी के प्रतिदाय के लिए अयोग्य बन गए। तथापि, कोलकाता (पोर्ट) कमीशनरी प्राधिकारियों ने 19 प्रविष्ट के बिलों के तहत आयातित माल पर ₹ 87.06 लाख का प्रतिदाय दिया (जून से अगस्त 2010)।

इसके बारे में बताए जाने पर (जनवरी 2012), विभाग ने कहा (जून 2014) कि आपत्ति किया गया वियुइंग कार्ड और अन्य सहायक उपकरणों को इस धारणा के आधार पर आयातित सेट टाप बाक्स के साथ बेचा गया था कि संबंधित सेवा प्रदाता और उनके सहायक उपकरणों के किसी वियुइंग कार्ड के अभाव में सेट टाप बाक्स कार्यात्मक नहीं हो सकेगा।

विभाग का दावा तर्कसंगत नहीं था क्योंकि आयातित मर्दे “सेट टाप बाक्स (वियुइंग कार्ड और सहायक उपकरण सहित)” थी जबकि बिक्री बीजकों के माध्यम से बेची गई मर्दे किसी सहायक उपकरण के बिना केवल “सेट टाप बाक्स” थे। यद्यपि सेट टाप बाक्स में वियुइंग कार्ड थे, इन्हें क्रेताओं को मूल्य पर विचार किए बिना हस्तांतरित कर दिया गया, जो राज्य वैट अधिनियम में बिक्री की परिभाषा के तहत कवर हो सकता था।

मंत्रालय ने आयातक को मांग नोटिस जारी करने की सूचना दी (दिसम्बर 2014) आगे की प्रगति प्रतिक्षित है (जनवरी 2015)।

चीनी के आयात पर सीमाशुल्क से गलत छूट

5.5 दिनांक 26 फरवरी 2009 के परिपत्र सं. 883/3/2009 सीएक्स द्वारा बोर्ड (सीबीईसी) ने स्पष्ट किया कि सभी उत्पाद अर्थात् चीनी, फार्मास्युटिकल चीनी और बूरा चीनी समान टैरिफ वर्गीकरण अर्थात् 1701 के तहत आती है, “रासायनिक रूप से शुद्ध फार्मा ग्रेड चीनी” “चीनी का उत्पाद” है। इस प्रकार अतिरिक्त शुद्ध चीनी (रसायनिक रूप से शुद्ध फार्मा ग्रेड) “रिफाइन्ड या सफेद चीनी से अलग है।

“सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 1701 के तहत वर्गीकरणीय “फार्मा ग्रेड चीनी” अधिसूचना सं. 12/2012 और अधिसूचना सं. 21/2002 की शर्तों में 60 प्रतिशत की दर से मूल सीमाशुल्क और चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के तहत उपकर के साथ उत्पाद शुल्क के बराबर सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क उद्याहय है। फलस्वरूप दिनांक 1 मार्च 2002 की अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 की शर्तों में ‘रिफाइन्ड या सफेद चीनी’ पर लागू मूल सीमा शुल्क की रियायती दर “फार्मा ग्रेड चीनी” पर विस्तारित नहीं किया जा सकता।

मै. माइक्रो लेबस ओर मै. केपी मनीष ग्लोबल इन्डियेंट्स प्रा. लि. ने चेन्नई (समुद्री) कमीशनरी के माध्यम से ₹ 81.99 लाख के निर्धारणीय मूल्य पर ‘अतिरिक्त शुद्ध चीनी (रासायनिक रूप से फार्मा ग्रेड) के सात परेषण आयात किए (फरवरी 2012 से मार्च 2013)। एक परेषण के संबंध में (फरवरी 2012) माल को गलत तरीके से सीटीएच 17049090 के तहत वर्गीकृत कर दिया गया था और अधिसूचना सं. 21/2002 की क्रम सं. 37 जे की शर्तों में ‘शून्य’ दर पर मूल सीमाशुल्क (सीटीएच 1701 के माल पर लागू) और की अधिसूचना सं. 2/2008-सीई के क्रम सं. 5 की शर्तों में 10 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क के बराबर सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई थी। अन्य परेषणों के संबंध में, माल को सीटीएच 17019990 के तहत वर्गीकृत किया गया था और अधिसूचना सं. 12/2012 सी शु की क्रम सं. 77 की शर्तों में ‘शून्य’ दर /10 प्रतिशत पर मूल सीमा शुल्क का निर्धारण किया गया था। इसके अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के बराबर सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क विभिन्न दरों पर अर्थात् ₹ 38 प्रति क्विंटल/ ₹ 71 प्रति क्विंटल (दिनांक 17

मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 सीई क्रम सं. 14(अ)/14(ब) 12 प्रतिशत (दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 18/2012 सीई क्रम सं. 4) पर लगाया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिसूचना सं. 21/2002/अधिसूचना सं. 12/2012-सीशु की शर्तों में उपलब्ध शुल्क की रियायती दर केवल रिफाइंड या सफेद चीनी पर लागू है और इसे “फार्मा ग्रेड चीनी” को विस्तारित नहीं किया जा सकता है और अधिसूचना सं. 21/2002 क्रम सं; 38 अधिसूचना सं. 12/2012 क्रम सं. 75 और लागू चीनी उपकर के साथ 10 प्रतिशत/12 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क के बराबर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क के तहत माल 60 प्रतिशत के मूल सीमाशुल्क पर उद्ग्राहण है इस प्रकार, रियायती दर पर शुल्क के गलत विस्तारण के परिणामस्वरूप ₹ 51.08 लाख की राशि का कम शुल्क लगाया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (नवम्बर 2012, मार्च और नवम्बर 2013), विभाग ने उत्तर दिया (मार्च और अप्रैल 2014) कि पांच परेषणों के संबंध में ₹ 25.11 लाख के कम शुल्क के लिए आयातकों को मांग नोटिस जारी किए गए थे। इसकी आगे की प्रगति प्रतिक्षित है (जनवरी 2015)। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2015)।

पुनः आयातित माल पर गलत छूट

5.6 मरम्मत या सुधार के लिए निर्यात की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर निर्यातित माल के पुनः आयात को पूरे सीमा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के उद्ग्रहण से छूट दी जाएगी यदि बताई गई शर्तों को पूरा किया जाए (दिनांक 14 नवम्बर 1995 की अधिसूचना सं. 158/95 सीशु)। निर्धारित समय में पुनः निर्यात की विफलता के मामले में आयातक ली गई छूट लाभ की वापसी के लिए उत्तदायी होगा।

मै. एंगसर लि. और तीन अन्यों ने सीमाशुल्क कमीशनरी (पोर्ट) कोलकाता के माध्यम से पूर्व निर्यातित उत्पादों को दिनांक 14 नवम्बर 1995 की उक्त अधिसूचना के तहत शुल्क का भुगतान किए बिना मरम्मत हेतु पुनः आयात किया था (मार्च 2010 से नवम्बर 2010)। तथापि, आयातकों ने न तो आयात तिथि से एक वर्ष से अधिक की समाप्ति के बाद भी आयातित

माल के पुनः निर्यात का साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुपालन में उनके आयात के समय शुल्क छूट के लाभ का वापस भुगतान किया। विभाग ने छूट हेतु उदग्राह्य शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 44.69 लाख के शुल्क वसूली नहीं हुई।

विभाग ने मै. एंगसर लि. के संबंध में ₹ 3.93 लाख के मांग नोटिस की सूचना दी, जिसकी पुष्टि कर ली गई थी और उनकी बैंक गारंटी (बीई) के नकदीकरण द्वारा ₹ 21,000/- की वसूली की ली गई थी। विभाग ने आगे कहा कि शेष तीन मामलों में आयातकों ने उनके आयातित माल के पुनः निर्यात के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

तथापि, मै. सुप्रीम एवं क. प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत पुनः निर्यात दस्तावेजों (चार पुनः निर्यात शिपिंग बिल) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सभी शिपिंग बिलों की तिथि (6 और 8 सितम्बर 2010) और उनकी निर्यात जनरल मेनिफेस्ट (ईजीएम) तिथि (15 सितम्बर 2010) पुनः आयात माल की समरूपी तिथि से आठट आफ चार्ज (ओओसी) दिनांक (18 सितम्बर 2010) से पहले की थी प्रविष्टि के बिलों से पता चलता है कि इन शिपिंग बिलों के तहत निर्यात माल पुनः आयातित माल से भिन्न था। इस प्रकार, मरम्मत के बाद आयातित माल के पुनः निर्यात की उक्त अधिसूचना के तहत निर्धारित शर्त अधूरी रह गई जिसमें से लागू ब्याज के साथ अयातक से ₹ 30.40 लाख का राशि का शुल्क छूट लाभ वसूली योग्य है।

अप्रैल 2014 में विभाग को इसी सूचना दी थी, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2015)। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2015)।